

प्राचार्य का कार्यालय: श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक—/

मुज0, दिनांक—/

कार्यालय आदेश

विदित हो कि एन.एम.सी. के Anti Ragging Cell से इस संस्थान में नामांकित सत्र 2023-24 के एम.बी.बी.एस. छात्रों के साथ Anti Ragging घटना का प्रतिवेदन उपलब्ध हुआ है, जो बहुत ही खेद का विषय है। उक्त के संबंध में आज दिनांक 02.11.2023 को Anti Ragging Squad and Anti Ragging Committee की बैठक में सभी सदस्यों के द्वारा सर्वसहमति से निर्णय लिया गया है कि जिस छात्र के संबंध में शिकायत प्राप्त हुआ है, उसके अभिभावक को बुलाकर बॉर्ड लिया जाय। साथ ही सत्र 2022 के एम.बी.बी.एस. सभी छात्र एवं छात्राओं का तत्काल प्रभाव से 15 पन्द्रह दिनों के लिए निलंबित करते हुए निर्देश दिया जाता है कि महाविद्यालय परिसर को 24 घंटे के अन्दर सामान सहित निश्चित रूप से खाली कर दें, अन्यथा परिसर में पाये जाने पर प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए संबंधित छात्र/छात्राओं पर प्राथमिकी दर्ज की जायेगी। जिसकी सारी जबाबदेही छात्रों की होगी।

ह0/-

(डा0 (प्र0) आभा रानी सिन्हा)

प्राचार्य,

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,

मुजफ्फरपुर।

मुज0, दिनांक: 2/11/23 /

ज्ञापांक: 1490/23

- प्रतिलिपि:— अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:— कुलपति, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:— रजिस्ट्रार, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:— परीक्षा नियंत्रक, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:— जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:— वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:— Anti Ragging Helpline, University Grand Commission Net Bureau Helpline <helpline@antiragging.in> को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:— Deputy Secretary PGMEB and Member Secretary Anti Ragging committee National Medical Commission, New Delhi को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:— सभी विभागध्यक्ष/सभी मुख्य वार्डन/वार्डन, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:— प्रभारी प्राध्यापक प्रशासन/ई-स्टेट ऑफिसर/डा0 दिनेश साह, सह प्राध्यापक, फार्माकॉलौजी विभाग/बरसर, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:— आई.टी. सेक्शन श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।

Abha Rani Sinha
2/11/23.

प्राचार्य,

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,

मुजफ्फरपुर।

2/11/23